–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 102/2021

उनवान

1. मोहनी पत्नी रामस्वरूप
2. गोपी पत्नी काना समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम मावशिया, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवकता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. नाथू,
2. शैतान,
3. पप्पू,
4. सुखपाल पि0 सांवरलाल,
5. अमरी पत्नी शुभकरण,
6. धूकल पुत्र शुभकरण,
7. निर्मला पत्नी लादूराम,
8. प्रेम पत्नी परमेश्वर,
9. बद्रीलाल,
10. लक्ष्मण पि0 किशना जाति जाट नि0 मावशिया, नसीराबाद,
11. राज0 सरकार जरियें जहसीलदार नसीराबाद

——— प्रतिवादीगण :– 7 जरियें अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर,
11 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 21.7.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मावशिया के वंर्किग खसरा नम्बर 972 मिन रकबा 2–10–0 मे से 00–07–00 रकबा वादीगण ने प्रतिवादीगण के पिता सावंरलाल पुत्र गंगाराम से प्रतिफल राशि अदा कर कय किया था। कय दिनांक से ही वादीगण/केतागण आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त चले आ रहे है। भूमि कय करने के बाद वादीगण ने उक्त भूमि पर मकान, बाडा व चारो तरफ चारदीवारी करके फसल काश्त करते है। सम्वत् 2077 से 2070 में बैचान करता सांवरा पुत्र गंगाराम के उक्त हाल खसरा नम्बर 1515 में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकन था। किन्तु निर्मला देवी पत्नी लादूराम व प्रेम देवी पत्नी परमेश्वर के नामान्तकरण खोलते समय सांवरा पुत्र गंगाराम का सम्पूर्ण हिस्सा इनके नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि निर्मला देवी पत्नी लादूराम व प्रेम देवी पत्नी परमेश्वर और वादीगण ने भी इनके साथ उक्त [illegible] की थी। वादीगण के नाम कयशुदा आराजी का इन्द्राज होना चाहिये था। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में समस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर [illegible] व बदामी की मृत्यु हो गयी है। हाल राजस्व अभिलेख में [illegible] प्रतिवादीगण आरा[illegible]नाजा पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:32:52 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में खसरा नम्बर 986 है जबकि वाद पत्र में खसरा नम्बर 972 मिन अंकित है। गंगाराम के एकमात्र वारिस सांवरलाल ने खसरा नम्बर 986 के हाल खसरा नम्बर 1515 व 1517 का सम्पूर्ण हिस्सा जरियें विक्रय पत्र दिनांक 13.02.2004 को प्रतिवादीगण को विक्रय किया था। आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की है किन्तु वादीगणा ने भूमि को हडपने के लिये मिथ्या वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा पर किस–किस व्यक्ति का कितने हिस्से पर कब्जा काश्त है। अतः वाद सव्यय खरिज किया जावे। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण की विधिक कयशुदा होने के कारण वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ?

—— वादीगण

2. आया आराजी मुतनाजा पर कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट नही करने के कारण वाद खारिज योग्य है ?

—— प्रतिवादीगण

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा मोहनी व कानाराम का शपथ पत्र पेश किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नही की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

<u>**तनकी संख्या 1:–**</u>

आराजी मुतनाजा वंर्किग खसरा नम्बर 972 रकबा 2–10–0 वंर्किग जमाबंदी में किशना व गंगाराम पि. बालू के नाम खातेदारी दर्ज है। गंगाराम के पुत्र सांवरलाल द्वारा वादीगण को वंर्किग खसरा नम्बर 972 रकबा 2–10–0 में से 0–7–0 भूमि का बैचान जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र किया। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में विक्रेता सांवरलाल के पिता गंगाराम व किशना के नाम सह खातेदारी में दर्ज थी। इसके बावजूद विक्रेता द्वारा भूमि का विशिष्ट भू भाग का बैचान किया गया जबकि सह खातेदारी आराजी पर एक सह खातेदार अपना हिस्सा ही बैचान कर सकता है। विक्रेता द्वारा वादीगण को भूमि का विशिष्ट भू भाग बैचान करने के कारण आराजी मुतनाजा के राजस्व अभिलेख में उक्त विक्रय पत्र की पालना नही की गयी। वंर्किग खसरा नम्बर 972 के हाल खसरा नम्बर 1515 मिन रकबा 0.40 है। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का हाल खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.60 पर 1/2 हिस्सा दर्ज है। शेष 1/2 हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादीगण का कथन है कि निर्मला देवी पत्नी लादूराम व प्रेम [illegible] परमेश्वर के नामान्तकरण खोलते समय सांवरा पुत्र गंगाराम का [illegible] गया। जबकि निर्मला देवी पत्नी लादूराम व प्रेम देवी [illegible] इनके साथ उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:32:52 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

क्रय की थी। वादीगण के नाम क्रयशुदा आराजी का इन्द्राज होना चाहिये था। किन्तु वादीगण ने अपने वाद में यह स्पष्ट नही किया है कि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 द्वारा आराजी मुतनाजा में से कितना हिस्सा व क़िस दिनांक को क्रय किया था। वादीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र व आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने वाले नामान्तकरण की प्रति भी पत्रावली में पेश नही की है। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के विक्रय पत्र व विक्रय के तथ्य के अभाव में वदीगण के विक्रय पत्र को विधिवत नही कहा जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के नाम भूमि का 1/2 हिस्सा दर्ज है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित कथन सिद्व करने के लिये राजस्व अभिलेख के समस्त प्रमाण पेश नही किये है, उनके द्वारा अविभाजित भूमि का विशिष्ट भू भाग क्रय किये जाने के कारण भूमि का वर्तमान इन्द्राज दुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। वादीगण खातेदारी प्रापत करने के अधिकारी नही है। तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2:–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। शेष 1/2 हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा अपने वाद में वर्तमान इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण बताया है किन्तु उनके द्वारा क्रय की गयी आराजी किस खातेदार के नाम त्रुटिपूर्ण अंकित हुयी है यह स्पष्ट नही किया है। शेष प्रतिवादीगण के नाम उक्त आराजी किस प्रकार दर्ज हुयी यह भी वादी ने स्पष्ट नही किया है। वंर्किग खसरा नम्बर 972 रकबा 2–10–0 के हाल खसरा नम्बर 1515 का रकबा मिलान क्षेत्रफल अनुसार 0.40 ही बनता है किन्तु वादीगण द्वारा सम्पूर्ण रकबे 0.60 का वाद पेश किया है। वर्तमान में आराज़ी मुतनाजा पर कितने–कितने रकबे पर किस–किस खातेदार अथवा व्यक्ति का कब्जा हे यह भी वाद में अंकित नही किया है। अतः वादीगण का वाद खारिज योग्य है। तनकी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम मावशिया के हाल 1515 रकबा 0.60 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:32:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मोहनी बनाम नाथू

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भम राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 102/2021
पेश करने की दिनांक — 17.8.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुद्दई गोरधन गुर्जर ।ज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम मावशिया के हाल 1515 रकबा 0.60 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 21 माह 7 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:32:52 IST
Reason: SelfAttested